

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।

संशोधन-पत्र

शासकीय कार्यों के प्रयोगार्थ अनुबंध पर 01 वाहन लिए जाने हेतु दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति एवं तत्क्रम में विभागीय वेबसाईट में दिनांक 16-09-2022 को अपलोड नियम एवं शर्तों के नियम-1 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

क्रमांक	पूर्व नियम	वर्तमान संशोधित नियम
नियम-1	आपूर्ति किया जाने वाला वाहन इनोवा, BS-6 माडल होना आवश्यक है। अंकित वाहन का मेक माडल अप्रैल, 2020 के बाद का होना आवश्यक होगा। नवीन वाहन को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।	आपूर्ति किया जाने वाला वाहन इनोवा, BS-6 माडल होना आवश्यक है। अंकित वाहन का मेक माडल जनवरी, 2018 के बाद का होना आवश्यक होगा। नवीन वाहन/इनोवा क्रिस्टा को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी।


श्रम आयुक्त
उत्तराखण्ड